(क) भूमि और जल संसाधनों के विकास तथा इसके परिणामस्वरूप हुए बायोमास उत्पादन के लाभों का और भी अधिक समान वितरण करके।

(ख) आय सृजन के अवसर तक और भी अधिक पहुंच द्वारा तथा उनके मानव संसाधन विकास पर बल देकर।

2. निवेश संवर्धन योजना के उद्देश्य:

(1) योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर बनेतर बंजरभूमि के विकास का संवर्धन करना/सुलभ बनाना है। योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रयोक्ता उद्योगों तथा अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं, निगमित निकायों से अलग-अलग किसानों, समुदाय, संस्थानों, सरकारी एजेंसियों आदि से संबंधित वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि के विकास के लिए संसाधन सुलभ कराना/आकृष्ट करना/जुटाना/वितरण करना है।

(2) बंजरभूमि को स्थायी रूप से उपयोग में लाना तथा इस भूमि से उत्पादकता तथा पौधरोपण में सुनिश्चित वृद्धि करना ताकि पारिस्थितिक संरक्षण कायम रह सके।

(3) वाणिज्यिक/आर्थिक वृक्षारोपण बागवानी, वृक्षों और पशुचारे के लिए उन्नत जैविक सामग्री की मार्फत ग्रामीण गरीबों को रोजगार सृजन के रूप में पर्याप्त लाभ पहुंचाना।

3. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना:—

(क) बंजरभूमि की विभिन्न श्रेणियों, विशेषकर मृदा-अपरदन, भूमि निम्नीकरण, खारापन, क्षारीयता, जल जमाव आदि के कारण प्रभावित समस्याग्रस्त भूमि के विकास के लिए उपयुक्त, किफायती और उचित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना।

(ख) बंजरभूमि के विकास के लिए स्थायी आधार पर प्रदर्शन के नमूनों के तौर पर स्थान विशिष्ट प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन करना।

(ग) मत्स्यपालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित भूमि आधारित गतिविधियों की मार्फत बंजरभूमि के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनायें आरंभ करना।

(घ) नयी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और बंजरभूमि विकास संवर्धन के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता के बारे में अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करना।

4. बंजरभूमि विकास कार्यदल के उद्देश्य:

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दुर्गम और काफी निम्नीकृत बेहड़ के विकास के लिए मार्च, 1995 में एक बंजरभूमि विकास कार्यदल का सृजन किया गया था जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(क) वनरोपण की मार्फत बंजरभूमि के पुनः संवर्धन एवं विकास के लिए एक अनुशासित दल की व्यवस्था करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

—मृदा एवं नमी संरक्षण

—वृक्षारोपण

—वृक्षारोपण का रख-रखाव

—संरक्षण

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मुहैया कराना

Dissatisfaction over Revised Scheme of Conversion of Leasehold System

516. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINSTER be pleased to state:

(a) whether the Apex Association of DDA colonies has expressed dissatisfaction over the revised scheme for conversion of lease-hold properties into free-hold announced by Government;

(b) if so, what are the grounds of their dissatisfaction;

(c) whether Government are considering to give cost-free conversion of 50sq. meters to the flat owners as is given to the plot holders; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (d) Since the inception of the Scheme in 1992, the Apex Association of DDA colonies had taken up the matter for free conversion of 50 Sq. Mtrs. flats and had also raised the matter before the Delhi High Court.

After detailed examination of the matter it was revealed that construction of flats cannot be equated with normal type of construction because of density consideration and the number of units as could

be put up in a Group Housing Complex on the given size of plot. While determining conversion fee in the case of ready built flats, the entire area of the complex divided by the number of units is taken into consideration and flat rate of conversion fee prescribed.

However, keeping in view the various representations, while allowing remission in conversion fee allottees/lessees of ready built flats have been put in an advantageous position by allowing remission of 33-1/3% as compared to 25% to allottees of properties.

In veiw of the above, no further concessions are under consideration of the Government.

मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना हेतु धनराशि

517. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों तथा योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उसके लिए वर्ष 1992-93 से वर्ष 1994-95 तक वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) उक्त धनराशि में से शहरी गरीबों/बेरोजगारों को लघु उद्यमों की स्थापना और शहरी मजदूरी पर आधारित रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) इनमें से जिला-वार कितने-कितने शहरी बेरोजगारों को लघु उद्यम स्थापित करने में सहायता दी गई और शहरी मजदूरी पर आधारित रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जिले-वार अपने-अपने निर्धारित हिस्से की धनराशि प्रदान करने एवं व्यय किए जाने के संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना के तहत शहरी लघु उद्यमों की स्कीम (सूमे), शहरी मजदूरी रोजगार की स्कीम (सूवे) और आवास तथा आश्रय उन्नयन की स्कीम (सासू) कार्यान्वित की जा रही है। नेहरू रोजगार की इन स्कीमों के तहत मध्य प्रदेश को 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 550.40 लाख रुपये, 684.48 लाख रुपये, और 595.03 लाख रुपये मुहैया कराये गये हैं।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान शहरी लघु उद्यमों की स्कीम (सूमे) के लिए क्रमशः 391.92 लाख रुपये, 255.20 लाख रुपये और 345.13 लाख रुपये मुहैया कराये गये थे और वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान शहरी मजदूरी रोजगार की स्कीम (सूवे) के तहत क्रमशः 345.45 लाख रु० 207.70 लाख रुपये और 321.00 लाख रुपये मुहैया कराये गये थे।

(ग) और (घ) चूंकि इस स्कीम की निगरानी केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है अतः राज्यवार, जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

RBI Report on Integrated Rural Development Programme

518. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Committee appointed by the Reserve Bank of India to look into the planning and implementation of Integrated Rural Development Programme has submitted its report;

(b) if so, the main recommendations made by the Committee and those accepted by Government; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) The main recommendations made by the Committee and those accepted by the Government are:—

(i) Greater involvement of Panchayati Raj Institutions in the implementation of the IRDP.